

प्रेषक,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,  
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,  
(अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी को छोड़कर)  
उत्तराखण्ड।

(यू0एस0आर0एल0एम0) ग्राम्य विकास

देहरादून:

दिनांक ०७ मार्च, 2014

विषय:— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजनान्तर्गत कार्यक्रम  
क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि एन0आर0एल0एम0 के क्रियान्वयन हेतु आपकी जनपदों के Non Intensive Block हेतु Training and exposure visit of active women, DMMU Training and induction, DMMU Running expenses के लिए अंकन रू0 54,72,000.00 (रूपया चौवन लाख बहत्तर हजार मात्र)की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से निम्नलिखित बैंक खातों में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपको अवमुक्त की जा रही है।

क्र० सं०	बैंक का नाम	व्यय मद			कुल अवमुक्त धनराशि
		Training and exposure visit of active women,	DMMU Training and induction,	DMMU Running expenses	
1	2	3	4	5	6
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा, भगतसिंह चौक रुद्रपुर	86000		150000	236000
2.	पंजाब नेशनल बैंक, यमुना कालौनी, देहरादून	115000		200000	315000
3.	भारतीय स्टेट बैंक, नोपेश्वर	201000		350000	551000
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा, भीमताल जिला नैनीताल	172000		300000	472000
5.	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, विकास भवन, पौड़ी	316000		550000	866000
6.	भारतीय स्टेट बैंक रुद्रप्रयाग	86000	150000	150000	386000
7.	केनरा बैंक, नई टिहरी	258000	150000	450000	858000
8.	पंजाब नेशनल बैंक, जनपद शरवा चम्पावत	115000	150000	200000	465000
9.	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, आर्यनगर ज्वालापुर, हरिद्वार	172000	150000	300000	622000
10.	पंजाब नेशनल बैंक, नया बाजार, पिथौरागढ़	201000	150000	350000	701000
योग—					5472000

नियम एवं शर्तः—

1. उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय क्रमशः Training and exposure visit of active women, DMMU Training and induction एवं DMMU Running expenses मदों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. सक्रिय एस0एच0जी0 के समूह के अन्तर्जनपदीय, अन्तर्राज्यीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण, टी0ए0/डी0ए0 में होने वाले व्यय का भार Training and exposure visit of active women मद में अवमुक्त धनराशि से वहन किया जायेगा।
3. जिला स्तर पर योजना से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं टी0ए0/डी0ए0 एवं इसके अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने हेतु होने वाले व्यय का भार DMMU Training and induction, मद में अवमुक्त धनराशि से वहन किया जायेगा।
4. कार्यालय के अन्तर्गत फ़ैक्स मशीन, स्टेशनरी, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, आदि कय एवं ईधन व्यय आदि में होने वाले व्यय का भार DMMU Running expenses हेतु अवमुक्त धनराशि से वहन किया जायेगा।
5. उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित मद के अनुसार ही किया जायेगा।
6. धनराशि के आहरण के लिए सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला मिशन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय किसी दूसरी मद में नहीं किया जायेगा।
8. उपरोक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी0एफ0आर0-19 ए. एवं पूर्व में प्रेषित आई0यू0एफ0आर0 प्रपत्र में यू0एस0आर0एल0एम0 कार्यालय में प्रत्येक माह की तीन तारीख तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय उत्तराखण्ड को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0बी0 थपलियाल)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

012  
ad